



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18092023-248808
CG-DL-E-18092023-248808

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 644]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 18, 2023/भाद्र 27, 1945

No. 644]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 18, 2023/BHADRA 27, 1945

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 2023

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आदर्श उप-विधियां और दिवाला व्यावसायिक एजेंसियों का शासी बोर्ड)
(संशोधन) विनियम, 2023

सं. आई.बी.बी.आई./2023-24/जी.एन./आर.ई.जी.105.—भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) की धारा 240 के साथ पठित धारा 196 और धारा 205 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आदर्श उप-विधियां और दिवाला व्यावसायिक एजेंसियों का शासी बोर्ड) विनियमन, 2016 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्: -

1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आदर्श उप-विधियां और दिवाला व्यावसायिक एजेंसियों का शासी बोर्ड) (संशोधन) विनियम, 2023 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आदर्श उप-विधियां और दिवाला व्यावसायिक एजेंसियों का शासी बोर्ड) विनियमन, 2016 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् "मूल विनियम" कहा गया है) की अनुसूची में,-

(1) पैरा VI के खंड 10 में,

(क) उपखंड (1) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(1) कोई व्यक्ति या कोई दिवाला व्यावसायिक संस्था, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक) विनियमन, 2016 की दूसरी अनुसूची के क्रमशः प्ररूप क के भाग-I

और प्ररूप कक के भाग-1 में, ऐसी रीति में और ऐसी फीस सहित, जो एजेंसी विनिर्दिष्ट करे, आवेदन प्रस्तुत करके व्यावसायिक सदस्य के रूप में नामांकन के लिए आवेदन कर सकेगा/सकेगी।

(ख) उपखंड (7) में, “आवेदक को” शब्दों के पश्चात्, “आवेदन की प्राप्ति से साठ दिन के भीतर, खंड (6) में कथित प्रयोजनों के लिए दिए गए समय को छोड़कर,” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

(2) पैरा XI में,-

(i) खंड 29 के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:-

“29. एजेंसी, किसी व्यावसायिक सदस्य द्वारा सदस्यता के अभ्यर्पण को स्वीकार करने से इनकार कर सकेगी, यदि -

(1) उसके विरुद्ध एजेंसी या बोर्ड के समक्ष शिकायत या अनुशासनिक कार्यवाही लंबित है;

(2) व्यावसायिक सदस्यता के अभ्यर्पण के लिए आवेदन की तारीख को -

(क) बोर्ड को फीस के संदाय;

(ख) एजेंसी या बोर्ड द्वारा जारी किए गए किसी अनुशासनिक आदेश;

(ग) फाइलिंग और एजेंसी तथा बोर्ड को प्रकटन करने;

(घ) सुसंगत विनियमों के लिए रखे जाने के लिए अपेक्षित अभिलेखों और अन्य दस्तावेजों को बनाए रखने, उनके परिरक्षण और अंतरण के लिए किए गए इंतजामों; और

(ङ) संहिता, उसके अधीन बनाए गए नियमों, विनियमों, एजेंसी और बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी किए गए परिपत्रों, निदेशों या दिशानिर्देशों के अधीन यथानियत किन्हीं अन्य अपेक्षाओं,

यथा-विद्यमान अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं करता है।

(3) उसे संहिता के अधीन किसी प्रक्रिया के लिए अंतरिम समाधान व्यावसायिक, समाधान व्यावसायिक, समापक या प्राधिकृत प्रतिनिधि या शोधन अक्षमता न्यासी के रूप में नियुक्त किया गया है या किसी अन्य दिवाला व्यावसायिक की नियुक्ति ऐसी प्रक्रिया के लिए अहितकर होगी।”

(ii) खंड 30 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

“30. (1) किसी व्यावसायिक सदस्य को -

(क) यदि वह खंड 9 के अधीन नामांकित किए जाने के लिए अपात्र हो जाता है;

(ख) अनुशासनिक समिति के आदेश से तीस दिन के अवसान पर, जब तक कि उसे अपीली पैनल द्वारा अपास्त या स्थगित न कर दिया गया हो;

(ग) लिखित में तामील किए गए कम से कम दो नोटिसों के बावजूद व्यावसायिक सदस्यता फीस का संदाय न करने पर;

(घ) बोर्ड द्वारा उसके रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के रद्दकरण पर;

(ड) किसी न्यायालय के आदेश पर,
एजेंसी द्वारा निष्कासित किया जाएगा।

(2) एजेंसी, व्यावसायिक सदस्य को निष्कासित करते समय, खंड 29 में उपबंधित कारकों को ध्यान में रख सकेगी।”

रवि मित्तल, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./426/2023-24]

टिप्पण : भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आदर्श उप-विधियां और दिवाला व्यावसायिक एजेंसियों का शासी बोर्ड) विनियमन, 2016, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, सं. 421, तारीख 22 नवम्बर, 2016 में अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2016-17/जी.एन./आर.ई.जी.001, तारीख 21 नवम्बर, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनमें अंतिम संशोधन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, सं. 535, तारीख 31 अक्तूबर, 2022 में अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2022-23/जी.एन./आर.ई.जी.101, तारीख 31 अक्तूबर, 2022 द्वारा प्रकाशित भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आदर्श उप-विधियां और दिवाला व्यावसायिक एजेंसियों का शासी बोर्ड) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2022 द्वारा किया गया था।

INSOLVENCY AND BANKRUPTCY BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th September, 2023

Insolvency and Bankruptcy Board of India (Model Bye-Laws and Governing Board of Insolvency Professional Agencies) (Amendment) Regulations, 2023

No. IBBI/2023-24/GN/REG105.—In exercise of the powers conferred by sections 196 and 205 read with section 240 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016), the Insolvency and Bankruptcy Board of India hereby makes the following regulations further to amend the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Model Bye-Laws and Governing Board of Insolvency Professional Agencies) Regulations, 2016, namely: -

1. (1) These regulations may be called the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Model Bye-Laws and Governing Board of Insolvency Professional Agencies) (Amendment) Regulations, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Model Bye-Laws and Governing Board of Insolvency Professional Agencies) Regulations, 2016 (hereinafter referred to as ‘the principal regulations’), in the Schedule --

(1) In para VI, in clause 10,

(a) for sub-clause (1), the following shall be substituted, namely: -

“(1) An individual or an insolvency professional entity may apply for enrolment as a professional member by submitting an application in Part – I of Form A and Part – I of Form AA, respectively, of the Second Schedule to Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Professionals) Regulations, 2016, in such manner and with such fees as may be specified by the Agency.”

(b) in sub-clause (7), after the words “to these bye laws” the words “within sixty days of receipt of the application, excluding the time given for the purposes stated in clause (6)” shall be inserted,

(2) in para XI,

(i) for the clause 29, the following shall be substituted, namely: -

“29. The Agency may refuse to accept the surrender of membership by any professional member if—

(1) there is grievance or disciplinary proceeding pending against it before the Agency or the Board;

(2) it does not comply with requirements, as on the date of application for surrender of professional membership with respect to-

- (a) payment of fee to the Board;
- (b) a disciplinary order issued by the Agency of the Board;
- (c) filings and disclosures to the Agency and the Board;
- (d) the arrangements made for the maintenance, preservation and transfer of records and other documents required to be maintained under the relevant regulations; and
- (e) any other requirements, as stipulated under the Code, rules made thereunder, regulations, circulars, directions, or guidelines issued by the Agency and the Board, from time to time.

(3) it has been appointed as an interim resolution professional, resolution professional, liquidator or authorised representative or bankruptcy trustee for a process under the Code, or the appointment of another insolvency professional may be detrimental to such process.”

(ii) For clause 30, the following shall be substituted namely:-

“30. (1) A professional member shall be expelled by the Agency –

- (a) if it becomes ineligible to be enrolled under clause 9;
- (b) on expiry of thirty days from the order of the Disciplinary Committee, unless set aside or stayed by the Appellate Panel;
- (c) upon non-payment of professional membership fee despite at least two notices served in writing;
- (d) upon the cancellation of its certificate of registration by the Board;
- (e) upon the order of any court of law.

(2) While expelling the professional member, the Agency may take into account the factors provided in clause 29.”

RAVI MITAL, Chairperson

[ADVT.-III/4/Exty./426/2023-24]

Note : The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Model Bye-Laws and Governing Board of Insolvency Professional Agencies) Regulations, 2016 were published *vide* notification No. IBBI/2016-17/GN/REG001 dated 21st November, 2016 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 421 on 22nd November, 2016 and were last amended by the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Model Bye-Laws and Governing Board of Insolvency Professional Agencies) (Second Amendment) Regulations, 2022 published *vide* notification No. IBBI/2022- 23/GN/REG101 dated 31st October 2022, in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 535 on 31st October 2022.